प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष—2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —864 / 2022

अनवान : —

1. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

—— **वादी**

बनाम्

1. सतपाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :— श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः 20.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 96 / 26 की कुल 2.7830 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता संख्या 325 / 68 की कुल 2.7830 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 349 / 308 के की 10.3730 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के / 12 हिस्सा व खाता संख्या 498 / 459 की कुल 1.0120 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का जन्मजात हक हिस्सा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071—2074 के खाता संख्या 96 / 26 की कुलु 2.7830 है0 भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 325 / 68 की कुल 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 374 / 407 (128) के किला नं. 13, 14, 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि व किला नं. 23 मिन पूर्व की 0.076 है0 कुल 0.835 है0 भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व प0 नं0 374 / 407 (128) के किला नं. 19, 20 प्रत्येक के मिर उत्तर 0.013 है0 भूमि रास्ता के लिए छोड़ी गई है व खाता संख्या 498 / 459 की कुल तादादी 1.012 है0 में से 1 / 12 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 349 / 308 की कुल तादादी 10.3730 है0 भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला काबिज है। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषित करवाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीग स0 1 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नही है।

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीग स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 96/26 की कुल 2.7830 है0 भूमि व रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 325/68 की कुल 2.7830 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ब0 हि0 ब0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है व खाता संख्या 349/308 के की 10.3730 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक के /12 हिस्सा व खाता संख्या 498/459 की कुल 1.0120 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा गंगाराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीग स0 1 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई एतराज नही है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादी की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 96/26 की कुल 2.7830 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 325/68 की कुल 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 374/407 (128) के किला नं. 13, 14, 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि व किला नं. 23 मिन पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

की 0.076 है0 कुल 0.835 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 374/407 (128) के किला नं. 19, 20 प्रत्येक के मिन उत्तर 0.013 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 498/459 की कुल तादादी 1.012 है0 में से 1/24 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 349/308 की कुल तादादी 10.3730 है0 भूमि में से 1/12 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –864 / 2022
अनवान : –

1. राजेन्द्र पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

–– वादी

बनाम्

1. सतपाल पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 864 सन 2022 दिनांक 20.05.2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 आरएमएस तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 96 / 26 की कुल 2.7830 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 7 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 325 / 68 की कुल 2.7830 है0 भूमि में से प0 नं0 374 / 407 (128) के किला नं. 13, 14, 18 प्रत्येक की 0.2530 है0 भूमि व किला नं. 23 मिन पूर्व की 0.076 है0 कुल 0.835 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 374 / 407 (128) के किला नं. 19, 20 प्रत्येक के मिन उत्तर 0.013 है0 भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाता है व शेष भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व खाता संख्या 498 / 459 की कुल तादादी 1.012 है0 में से 1 / 24 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 349 / 308 की कुल तादादी 10.3730 है0 भूमि में से 1 / 12 हिस्सा भूमि में वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:22:50 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–बरवाली